न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 92/2019

दायर तारीख :– 07-10-2019

1. प्रहलाद पुत्र गुल्लाराम
2. रामपाल पुत्र घीसाराम
3. गिरधारी पुत्र रेखाराम

समस्त जाति रैगर निवासी तवडी तहसील विराटनगर

— प्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
2. रामेश्वर पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर निवासी दौलाज तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

3. भंवरराम
4. चौथमल

पुत्रान ग्यारसा जाति रैगर निवासी तवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्त करने

अन्तर्गत धारा 136 भू-प्रबन्ध अधिनियम

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 04.02.2021

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम मैड के हाल खाता संख्या 512 के हाल खसरा नंबर 4564/5918 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता गुल्लाराम के नाम से नामान्तकरण संख्या 201 के द्वारा आवंटित हुई हैं। हाल खाता संख्या 247 के हाल खसरा नंबर 4564/5919 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 248 हाल खसरा नंबर 4565 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 4566/0.05 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि का आंवटन प्रार्थी संख्या 2 के पिता घीसा पुत्र रेखाराम के नाम से नामान्तकरण संख्या 202 से हुआ है, हाल खाता संख्या 171 के हाल खसरा नवर 4564/5921 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 3 के नाम से आंवटन नामान्तकरण संख्या 204 के द्वारा हुआ है एवं हाल खाता संख्या 993 के हाल

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खसरा संख्या 4564/5923 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का आंवटन प्रार्थी संख्या 4 के नाम से नामान्तकरण संख्या 206 के द्वारा हुआ है इसक साथ ही हाल खाता संख्या 654 के खसरा नबर 4564/5920 रका 0.70 हैक्टेयर भूमि तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से नामान्तकरण संख्या 203 के द्वारा आवंटन हुआ है एवं खाता संख्या 273 के हाल खसरा नवर 4564/5922 रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 3 के नाम से नामान्तकरण संख्या 205 के द्वारा आवंटन हुआ है। उक्त वर्णित आवंटन 1992 में राजस्व अभियान कैम्प मैड में द्वारा किया गया है। यह है कि प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का आवंटन प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण के नाम से हाल खसरा नबर 4564 जो कि एक बडा नंबर है से नये नंबरान डालकर किया गया है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों के द्वारा तत्कालीन समय में किए गए उक्त आवंटन को क्रम अनुसार हाल खसरा सख्या 4564/5918, 4564/5919, 4564/5921, 4564/5920, 4564/5922, 4564/5923 उत्तरी सीमा से लगते हुए पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर पूर्वी दिशा तक तथा पूर्वी दक्षिणी दिशा तक किया गया था। यह है कि पटवारी हल्का मैड ने अपनी मनमर्जी करते हुए पडौसी खातेदारान को वेजा लाभ पंहूचाने की गरज से किए गए उक्त आवंटन के तथा मौका स्थिती के विपरीत जाकर नक्शा तरमीम करते हुए गडबडी कारित कर मौका स्थिति एवं कब्जे के विपरीत जाकर अपनी मनमर्जी से ट्रेस नक्शा में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम करीब 10 मीटर चौडाई की भूमि खाली छोडते हुए प्रार्थीगण 1 लगायत 3 की काबिज काश्त भूमि को कम रकते हुए पहाडी क्षेत्र में दर्ज कर दिया तथा खसरा संख्या 4564/5923 जो कि पूर्वी दक्षिणी दिशा में था उसमें परिवर्तन करते हुए पूर्व दिशा में सवाईचक जमीन छोडते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा पहाड में लगते हुए की ओर अंकित कर दिया, जहां प्रार्थीगण 1 लगायत 3 की काश्त पहले से चली आ रही है तथा वह भूमि प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के रकबे की पूर्ति करती है तथा वर्तमान में भी हाल खसरा नंवर 4564/5923 पर प्रार्थीगण 1 लगायत 3 की फसल खडी है तथा उसके पूर्व दिशा में जहां सवाईचक भूमि दर्शित की है वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त वना हुआ है। इस प्रकार मनमर्जी पूर्वक राजस्व रिकॉर्ड में गडवडी करते हुए मनमर्जी से नक्शा तरमीम करने का कोई अधिकार अप्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 1 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को नही है। यह है कि प्रार्थीगण अपने आवंटन के समय से ही कम अनुसार हाल खसरा नंबर 4564/5918, 4564/5919, 4564/5921, 4564/5920, 4564/5922, 4564/5923 उत्तरी सीमा से लगते हुए पश्चिम दिशा से प्रांरभ होकर पूर्वी दिशा तक तथा पूर्वी दक्षिणी दिशा तक मौका स्थिति के अनुसार काबिज रहकर अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं। यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एवं मनमर्जी से मौका स्थिति एवं कब्जे के विपरीत जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई उक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा संख्या 4564/5918, 4564/5919, 4564/5921, 4564/5920, 4564/5922, 4564/5923 उत्तरी सीमा से लगते हुए पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर पूर्वी दिशा तक तथा पूर्वी दक्षिणी दिशा तक दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार नक्शा तरमीम करवाये जाने का अधिकारी है। यह है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 4564/5923 की मौका स्थिति न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश विराटनगर के समक्ष वर्णित वाद उनवान प्रभूदयाल बनाम रामेश्वर वगैरह बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा में दिए गए अप्रार्थी संख्या 2 के बयानात से ही स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि का नक्शा तरमीम राजस्व कर्मियों के द्वारा गलत रूप से किया गया है, इसलिए नक्शा तरमीम मौका स्थिति के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह है कि हाल खसरा नंबर 4564/5918 प्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद, मालीराम, मदनलाल, रामनिवास, पांचूराम पुत्रान गुल्लाराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य भाईयों के आपसी बंटवारा हो गया इस कारण से इस भूमि में उनके हिस्से के बजाय उनको अन्यत्र स्थान पर भूमि में हिस्सा ज्यादा दे दिया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की वाकै ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित आवंटन के समय से ही कम अनुसार हाल खसरा संख्या 4564/5918, 4564/5919, 4564/5921, 4564/5920, 4564/5922, 4564/5923 उत्तरी सीमा से लगते हुए पश्चिम दिशा से प्रारम्भ होकर पूर्वी दिशा तक तथा पूर्वी दक्षिणी दिशा तक मौका स्थिति के अनुसार एवं दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

ट्रेस में तरमीम किए जाने की घोषणा कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नजरी नक्शा संख्या 1 ग्राम तेवडी, नकल नजरी नक्शा संख्या 2 ग्राम तेवडी, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 512 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 171 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 247 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 654 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 171 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 248 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 998 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 273 संवत् 2074–2077, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मैड, नकल जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 201 ग्राम मैड, नकल जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 202 ग्राम मैड, नकल जमाबंदी नामान्तकरण संख्यां 203 ग्राम मैड, नकल जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 206 ग्राम मैड, नकल जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 205 ग्राम मैड, नकल रजिस्टर मिटिंग आवंटन कमेटी दिनांक 02.06.192 कैम्प मैड, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1084 संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1077 संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1075 संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 820 संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1085 संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 1078 संवत् 2066–2069, नकल शपथ पत्र साक्ष्य प्रतिवादी मुख्य परीक्षण रामेश्वर पुत्र नाथू, नकल बयान रामेश्वर पुत्र नाथूराम, नकल शपथ पत्र गवाह प्रतिवादी मुख्य परीक्षण सीताराम पुत्र साधूराम, नकल बयान सीताराम पुत्र साधूराम, नकल आदेशिका उनवान राजस्थान सरकार बनाम रामेश्वर, प्रभूदयाल वगैरह मुकदमा नंबर 02/2006, नकल निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 2/2006 दिनांक 15.02.2007, फोटो प्रति तहसीलदार विराटनगर कार्यालय धारा 91 के तहत नोटिस आदि पेश किये गये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में कथन रहे कि खसरा नंवर 4564/5918, 4564/5919, 4564/5921, 4564/5920, 4564/5922, 4564/5923 में खसरा नंर 4564/5921 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गिरधारी पुत्र रेखा जाति रैगर के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नंवर खाली एवं समतल है। कुछ भाग पर्वतीय है, जिसको ट्रेस में दिखाया गया हैं। खसरा नंवर 4564/5918 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रहलाद ,मालीराम, मदन, रामनिवास, पांचूराम पिता गुल्लाराम जाति रैगर के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नंवर खाली एवं समतल है तथा कुछ भाग पर्वतीय हैं। खसरा नंवर 4564/5919 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार घीसा पुत्र रेखा के वारिसान जाति रैगर के नाम दर्ज है, मौके पर उक्त खसरा नंवर खाली एवं समतल है, किसी प्रकार का पहाडी भूमि नहीं है। खसरा नंवर 4564/5923 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रामेश्वर पुत्र नाथू जाति गुर्जर के नाम दर्ज है, मौके पर उक्त खसरा नंवर पर लगभग आधे भाग में उपरोक्त खातेदार काश्त कर रहे। शेष लगभग आधे भाग पर घीसा पुत्र रेखा, गिरधारी पुत्र रेखा, प्रहलाद, मालीराम, मदन, रामनिवस, पांचूराम पिता गुल्लाराम जाति रैगर वगैरह काश्त कर रहे हैं उक्त खसरा नंवर समतल है, कोई पहाडी भूमि नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम मैड के हाल खाता संख्या 512 के हाल खसरा नंबर 4564/5918 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता गुल्लाराम के नाम से नामान्तकरण संख्या 201 के द्वारा आवंटित हुई हैं। हाल खाता संख्या 247 के हाल खसरा नंबर 4564/5919 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 248 हाल खसरा नंबर 4565 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 4566/0.05 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि का आंवटन प्रार्थी संख्या 2 के पिता घीसा पुत्र रेखाराम के नाम से नामान्तकरण संख्या 202 से हुआ है, हाल खाता संख्या 171 के हाल खसरा नबर 4564/5921 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 3 के नाम से आंवटन नामान्तकरण संख्या 204 के द्वारा हुआ है एवं हाल खाता संख्या 998 के हाल खसरा संख्या 4564/5923 रकबा 0.25

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हैक्टेयर भूमि का आंवटन अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से नामान्तकरण संख्या 206 के द्वारा हुआ है इसक साथ ही हाल खाता संख्या 654 के खसरा नवर 4564/5920 रकवा 0.70 हैक्टेयर भूमि तरतीवी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से नामान्तकरण संख्या 203 के द्वारा आवंटन हुआ है एवं खाता संख्या 273 के हाल खसरा नवर 4564/5922 रकवा 0.65 हैक्टेयर भूमि तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 के नाम से नामान्तकरण संख्या 205 के द्वारा आवंटन हुआ है। प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को त्रुटि संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के रिकॉर्ड का परीक्षण कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.02.2021 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संशोधन नोट
17-3-21 निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 की दूसरी लाईन में ग्राम नेवडी के बजाय मैड़ पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)